20.9.19

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस के लिये समय चाहते हैं अतः पत्रावली वास्ते बहस दि॰ 4.10.19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, महवा

दिनांक 04–10–2019

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि ग्राम गगवाना तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 796, 797, 807, 808, 811, कुल किता 5 रकबा 1.49 हैक्टयर सायल की पैत्रिक एवं खातेदारी की आराजी है जिससे गैरसायलान या अन्य किसी व्यक्ति का किसी प्रकार का संबंध नहीं है। गैरसायलान आये दिन सायल की आराजी की डौल मेड को तोडते रहते है गैरसायलान ने सायल के हिस्सा में आयी आराजी पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है। गेरसायलान से अतिक्रमण हटाने का कहा तो इन्कार कर दिया। यदि गैरसायलान द्वारा सायल की आराजी से कब्जा नहीं हटाया गया तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी। सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

गैरसायलान की ओर से जबाब इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि गैरसायलान के खेतो की डोल मेढ पूर्व की भांति बनी हुई है। गैरसायलान की आराजीयात की डोल पर कुआ

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

[illegible]

[illegible] अधिवक्ताओं की बहस को सुना व पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। [illegible] के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम मगधाना तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 796, 797, 807, 808, 811, कुल किता 5 रकबा 1.49 हैक्टयर की खातेदारी [illegible] निवासी मिर्जापुर के नाम दर्ज है। उक्त से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का विधिक खातेदार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि गैरसायलान ने सायल की आराजी की [illegible] पर अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है। वकील प्रार्थी ने इस तथ्य को अपनी बहस में भी कहा कि गैरसायलान द्वारा सायल की खातेदारी की आराजी पर कब्जा कर लिया है तथा कब्जा को छोड़ने को तैयार नहीं है। इस प्रकार हम यह पाते है कि सायल की खातेदारी की आराजी पर गैरसायलान का कब्जा है। गैरसायलान का कब्जा अवैध है तो भी उसे अस्थाई निषेधाज्ञा की आड़ में नहीं हटाया जा सकता। अवैध कब्जा को भी विधिक प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। इस प्रकार हम यह पाते है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत ग्राम मगधाना तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 796, 797, 807, 808, 811, कुल किता 5 रकबा 1.49 हैक्टयर प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

[Fragment of overlapping page at left edge:]

वकील उभय पक्ष
ी का अवलोकन किया

ाज्ञा के तथ्य संक्षेप में
ल महवा की आराजी
कुल किता 5 रकबा 1.
तेदारी की आराजी है
त का किसी प्रकार का
सायल की आराजी की
ने सायल के हिस्सा में
ब्जा कर लिया है।
तो इन्कार कर दिया।
से कब्जा नहीं हटाया
सायल का प्रार्थना पत्र
अस्थाई निषेधाज्ञा से

प्रकार प्रस्तुत किया
ल मेढ पूर्व की भांति
ी डोल पर कुआ